संख्या-8 /2019 /195/77-3-2019-06बजट/16

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।
2- जिलाधिकारी,
अमेठी ।
3- जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2019**

विषय- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद अम्बेडकरनगर एवं अमेठी से जनपद गाजीपुर हेतु धनराशि का हस्तांतरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5539/यूपीडा/लेखा/17/1098/आवंटन, दिनांक 25.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर को शासनादेश संख्या-634/77-3-16-06बजट/16 दि0 03.05.2016 द्वारा रू0 1.69 करोड़, शासनादेश संख्या-1673/77-3-16-16बजट/16 दिनांक 26.09.2016 द्वारा रू0 30.00 करोड़, शासनादेश संख्या-1991/77-3-16-15बजट/16 दिनांक 04.01.2017 द्वारा रू0 20.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-44/77-3-17-01बजट/17 दिनांक 03.02.17 द्वारा रू0 30.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 81.69 करोड़ स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष यूपीडा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार रू0 62.04 करोड़ व्यय हो चुका है। अवशेष धनराशि रू0 19.65 करोड़ में से रू0 15.00 करोड़ जनपद गाजीपुर को भूमि क्रय मद में हस्तान्तरित/उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है

3. जनपद अमेठी को शासनादेश संख्या- 634/77-3-16-06बजट/16 दिनांक 03.05.2016 द्वारा रू0 145.73 करोड़, शासनादेश संख्या-1674/77-3-16-16बजट/16 दिनांक 26.09.2016 द्वारा रू0 120.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-1818/77-3-17-15बजट/16टीसी दिनांक 06.09.2017 द्वारा रू0 50.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 315.73 करोड़ स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से शासनादेश संख्या-19/2018/1171/77-3-2018-06बजट/16टीसी0 दिनांक 02.07.2018 द्वारा जनपद अमेठी से जनपद सुल्तानपुर को रू0 53.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-36/2018/2978/77-3-2018-06बजट/16टीसी दिनांक 25.09.2018 द्वारा रू0 20.00 करोड हस्तान्तरित किया गया है। अवशेष धनराशि रू0 242.73 करोड़ में से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 231.11 करोड़ व्यय हो चुका है। वर्तमान में अवशेष धनराशि रू0 11.62 करोड़ में से रू0 5.00 करोड़ जनपद गाजीपुर को हस्तान्तरित/उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा रू0 15.00 करोड तथा जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा रू0 5.00 करोड अर्थात कुल रू0 20.00 करोड जिलाधिकारी, गाजीपुर को हस्तान्तरित/उपलब्ध करायी जायेगी और जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा उक्त धनराशि रू0 20.00 करोड डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी जिसका उपयोग पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु किया जायेगा। जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र यूपीडा को यथा शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। यूपीडा जिलाधिकारी, गाजीपुर से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की गयी धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

6. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तमुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव

<u>संख्या-8/2019/195(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर, अमेठी एवं गाजीपुर।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) ई-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।